<u>**प्रेस नोट**</u>

<u>**थाना उल्दन, झांसी**</u>

<u>**दिनांक- 11.05.2026**</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना उल्दन पुलिस द्वारा महिला की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 11.05.26 को थाना उल्दन पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2026 धारा 103(1)/238(a)/64(1) BNS में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुशवाहा पुत्र दुर्गाप्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बंगराधवा थाना उल्दन जनपद झाँसी को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिजारा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>**संक्षिप्त विवरण:**</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 08.05.2026 को ग्राम पठाकरका के अखलेश्वर कुशवाहा पुत्र मूलचन्द्र के खेत के पास नाले के किनारे अधजली हुयी अज्ञात शादी शुदा महिला उम्र करीब 35 वर्ष का शव मृत अवस्था में पडे होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी शिनाख्त श्री अखिलेश कुशवाहा पुत्र मोहनलाल कुशवाहा निवासी ग्राम बंगराधवा थाना उल्दन जिला झाँसी द्वारा अपनी मां श्रीमती लाडकुंवर उर्फ लवली पत्नी श्री मोहनलाल कुशवाहा उम्र करीब 49 वर्ष निवासी ग्राम बंगराधवा थाना उल्दन जिला झाँसी के रुप मे की गयी। अखिलेश कुशवाहा उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2026 धारा 103(1)/238(a)/64(1) BNS पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त प्रमोद कुशवाहा पुत्र दुर्गाप्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बंगराधवा थाना उल्दन जनपद झाँसी का नाम प्रकाश मे आया।

दिनांक 10.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रमोद कुशवाहा पुत्र दुर्गाप्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बंगराधवा थाना उल्दन जनपद झाँसी को ग्राम सिजारा व सिजारा तिराहा के बीच स्थित बबूल के जंगल के मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रमोद कुशवाहा उपरोक्त द्वारा मृतका श्रीमती लाडकुंवर उर्फ लवली उपरोक्त के साथ पहले बलात्कार करने, फिर गला दबाकर हत्या करने एवं सबूत को छिपाने के उद्देश्य से जला देने का जुर्म स्वीकार किया गया।

<u>**नाम पता अभियुक्त-**</u> प्रमोद कुशवाहा पुत्र दुर्गाप्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बंगराधवा थाना उल्दन जनपद झाँसी

बरामद माल का विवरण-

01- कीपैड मोबाइल ITEL कम्पनी

02- मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना न0 UP 93 BL 1202

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01.अति0 निरीक्षक श्री जयप्रकाश थाना उल्दन जिला झाँसी
02.रि0आ0 अखिलेश कुमार यादव थाना उल्दन जिला झाँसी
03.रि0आ0 शुभम कुमार थाना उल्दन जिला झाँसी
04.का0 592 दीपचन्द मौर्य थाना उल्दन जिला झाँसी